राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :— 274 / 2016

रणजीत सिंह

—अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, चूरू।
3. मातुराम पुत्र श्री शिवचन्द्र राम, प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, दीनवा, झुन्झुनू।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.02.2016
आदेश की दिनांक : 06.05.2024

उपस्थिति :—
अपीलार्थी की ओर से : श्री महेश चन्द गुप्ता, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी को प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति प्रदान नहीं की गयी है, जबकि अपीलार्थी से कनिष्ठ विपक्षी संख्या—3 की पदोन्नति आदेश दिनांक 19.10.2015 के द्वारा प्रधानाध्यापक के पद पर की गयी है। अपीलार्थी वरिष्ठ होते हुए भी उसे पदोन्नति से वंचित रखा गया है, जो गलत है।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि विपक्षी संख्या—3 की पूर्व में वरिष्ठता गलत रूप से अंकित की गयी थी, जिस कारण उन्हें प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नत किया गया था। बाद में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा विपक्षी संख्या—3 की वरिष्ठता विलोपित की जा चुकी है। चूंकि प्रत्यर्थी विभाग ने विपक्षी संख्या—3 की वरिष्ठता विलोपित कर दी है। ऐसे में यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी ने जो आधार इस अपील मे प्रकट किया है, वह आधार अब सारहीन हो गया है।
3. अतः इस अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती हैं।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)